संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
   उत्तर प्रदेश सरकार
   लखनऊ

2. मुख्य सचिव
   उत्तराखंड सरकार,
   देहरादून

विषय: विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 650/2010 - श्री लक्ष्मी नारायण, वरिष्ठ लिपिक, प्राविधिक शिक्षा विभाग का अनुसूचित जाति/मूल निवास के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री लक्ष्मी नारायण, वरिष्ठ लिपिक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 650/2010 दायर की गयी है जिसमे यह उल्लेख किया गया है की वह अनुसूचित जाति के कार्मिक है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं विकल्पधारी है । उन्होने याचिका में उत्तर प्रदेश आवंटन हेतु अनुरोध किया है ।

2. समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया । बैठक में विभागीय प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि श्री लक्ष्मी नारायण, अनुसूचित जाति के कार्मिक है और उनका मूल निवास उत्तर प्रदेश राज्य है । अतः विभाग द्वारा उपस्थापित तथ्यों के आधार पर उन्हे उत्तर प्रदेश में बनाए रखने तथा इनके द्वारा धारित पद को उत्तराखंड राज्य स्थानांतरित करने कि समिति द्वारा संस्तुति की गयी ।

2. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री लक्ष्मी नारायण, वरिष्ठ लिपिक को अनुसूचित जाति /जनजाति दिशानिदेशों के तहत उत्तर प्रदेश में बनाए रखा जाता है तथा वरिष्ठ लिपिक पद की एक रिक्ति उत्तराखंड राज्य को स्थानांतरित की जाती है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।